न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 17 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 73)	13.05.2024	27.11.2024

1. रामलाल आ. भवाना जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिलूबा तह. तालेडा
2. गोपाल आ. भवाना जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिलूबा तह. तालेडा
3. जगन्नाथ आ. भवाना जाति मेघवाल निवासी ग्राम बिलूबा तह.तालेडा

– अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमती कमला
2. गणेशलाल
3. गीता बाई
4. नारायणी बाई
5. पुष्पा बाई
6. पार्वती बाई
7. बरधी बाई
8. महावीर शर्मा
9. श्योजी लाल

पिसरान माधोलाल निवासी ग्राम नमाना, तहसील व जिला बून्दी

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री दिनेश पारीक, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2866 दिनांक 09.04.2024 वाके ग्राम नमाना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार माधो पुत्र गंगाराम जाति रेगर के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 17/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/73 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किए गए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो.सं.1 लगायत 9 या उनके अभिभाषक/प्रतिनिधि के उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 25.11.24 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस अभिभाषक अपीलांटस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं. 1442/1637 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम नमाना की राजस्व जमाबंदी मे खातेदार माधो आ. गंगाराम रेगर निवासी नमाना द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज. टीनेन्सी एक्ट उपखण्ड अधिकारी बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी में विचारित हुआ और माधोलाल का दावा विरूद्ध अपीलांट संख्या 17/16 दिनांक 11.11.2016 को खारिज किया जाकर डिक्री प्रदान की गई, जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय का आदेश प्रभावी नहीं है। यहां यह भी निवेदन है कि उक्त माधोलाल द्वारा तथ्यों को छुपाकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट तहसील बून्दी मे पेश किया था जो भी खारिज कर दिया गया है। उक्त भूमि के संबंध में तथ्य यह है कि विवादित भूमि जिला कलक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार बून्दी के यहां एक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 11.06.1975 को खातेदार कल्याण, मोडू, माधो द्वारा भूमि को अपीलांट के पिता के पक्ष में विक्रय कर दस्तावेज पंजीबद्ध कराया था। न्यायालय ए.सी.एम. बून्दी के द्वारा राजस्व वाद 17/16 में पारित उक्त निर्णय दिनांक 11.11.2016 की प्रति व रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 11.06.1975 अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये जाने के बावजूद बिना अपीलांट को सूचित किये व सुनवाई का अवसर दिये इस प्रकार का आदेश दिया जाना अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 05.05.2024 को अपीलांट की ओर से नकल प्राप्त करने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि आराजी खसरा संख्या 1442/1637 एवं 1809/769 किता 2 कुल रकबा 3.0529 हैक्टेयर वाके ग्राम नमाना माधो पुत्र गंगाराम जाति रेगर निवासी ग्राम नमाना की खातेदारी की भूमि थी। जिस पर खातेदार माधो के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2866 दिनांक 09.04.2024 को तस्दीक किया गया, जिस पर अपीलांटस को आपत्ति है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध वादी माधोलाल आ. गंगाराम जाति रेगर निवासी नमाना द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दायर वाद संख्या 17/दावा/16 बउनवान माधोलाल बनाम ईसर वगै. में न्यायालय सहायक कलेक्टर (फारट ट्रेक), बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2016 की फोटोकापी का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादी से अपने खाते की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया, जो उक्त निर्णय से खारिज किया गया तथा "वादी किसी सहायता का पात्र नहीं है, परिणामस्वरूप वाद वादी खारिज किया जाता है" डिक्री जारी की गई। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी द्वारा पारित उक्त निर्णय से वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष नहीं दिया गया, किन्तु उक्त निर्णय में प्रतिवादी (अपीलांटस) के पक्ष में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने के आदेश भी नहीं दिये गये है।

जहां तक अपीलाधीन नामान्तरकरण का प्रश्न है तो उक्त नामान्तरकरण विरासत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज मृतक खातेदार माधो के वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है। किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना एक आवश्यक कानूनी प्रकिया है। चूंकि मृतक व्यक्ति से लगान आदि वसूल नहीं किया जा सकता है तथा उत्तराधिकार कभी अनुपस्थित नही रहता है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों की पालना में भूमि पर मृतक खातेदार के स्थान पर उसके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। नामान्तरकरण की कार्यवाही (फिस्कल प्रोसिडिंग) मात्र भूमि के लगान वसूली की प्रकिया है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है, इससे से किसी के हितो का निर्धारण नही होता है। वैसे भी रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 11.06.1975 के आधार पर अब 49 साल बाद नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में इस अपील के माध्यम से अपीलांटस के अधिकारों को तय नहीं किया जा सकता, बल्कि यह नियमित वाद से प्राप्त किये जा सकते हैं। अपीलांटस यदि उक्त आराजी पर अपना हक अधिकार मानते है तो वे काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार विरासत के आधार पर विधिक वारिसान के पक्ष में तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय मोदास)
जिला कलक्टर बून्दी